झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–2ए/आरोप–01–46/2010 का0 / राँची, दिनांक सितम्बर, 2012

विभागीय आदेश सं0– 1304 दिनांक 09.03.2011 द्वारा डॉ0 अनवर हुसैन, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कर्रो को निलंबित किया गया। उक्त आरोपो के लिए श्री हुसैन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके संचालन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना दुमका थे। विभागीय आदेश सं0– 1915 दिनांक 09.04.2011 द्वारा निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना दुमका निर्धारित किया गया।

2. त्वरित निष्पादन के क्रम में इस विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प सं0– 1991 दिनांक 28.02.2012 द्वारा श्री अशोक कुमार सिन्हा विभागीय जांच पदाधिकारी को स्थानांतरित किया गया है।

3. डॉ0 अनवर हुसैन, सम्प्रति (निलंबित) द्वारा उनके व्यक्तिगत अनुरोध एवं विभागीय कार्यवाही के स्थानांतरण के बाद श्री हुसैन के मुख्यालय को स्थानांतरित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त, दुमका के बदले प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर कार्यालय राँची निर्धारित किया जाता है।

4. अन्य शर्त यथावत लागू रहेगी।

5. इसमें सरकार के प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ए/आरोप–01–46/2010 का0 / राँची, दिनांक सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ए/आरोप–01–46/2010 का0 11030 / राँची, दिनांक 27 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव, कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, दुमका/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची/उपायुक्त, देवघर/विभागीय प्रशाखा–2 एवं 2ए (चारित्री)/डॉ0 अनवर हुसैन, झा0प्र0से0, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/12
सरकार के उप सचिव।